

नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, देवरिया।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय परिसर स्थित, वाहन स्टैंड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु दिनांक 22.04.2025 को नीलामी समिति, जजी देवरिया द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाल में समय अपराह्न 04.00 नियत की गयी थी। वाहन स्टैंड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 किसी भी बोलीकर्ता के उपस्थित न होने के कारण नीलामी की कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा सकी।

पुनः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, देवरिया के सम्मानित आदेश दिनांक -23.04.2025 के अनुपालन में दीवानी न्यायालय परिसर स्थित वाहन स्टैंड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु दिनांक 29.04.2025 को अपराह्न 04.00 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में दस कक्षीय न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार कक्ष में नीलामी समिति की देखरेख में नीलामी सम्पन्न होगी।

प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष 2025-2026 में वाहन स्टैंड की नीलामी मु0 2,73,000/-रु0 (दो लाख तिहत्तर हजार रुपये मात्र) को आधार मानकर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि समायोजित करते हुए मु0 3,00,300.00/-रु0 (तीन लाख तीन सौ रुपये मात्र) से नीलामी प्रारम्भ की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तों के अधीन बोली में भाग ले सकते हैं।

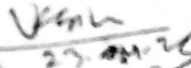
नीलामी की शर्त:-

- 1- प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व वाहन स्टैंड हेतु मु0-30,030/-रु0 (तीस हजार तीस रुपये मात्र) नकद धनराशि बतौर जमानत के रूप में कार्यालय नजारात जजी देवरिया में जमा करना होगा। बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता है। जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा में संबंधित व्यक्ति/बोलीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।
- 2- वाहन स्टैंड की नीलामी में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को हैसियत प्रमाण-पत्र एवं आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। भुजा-मूगफली एवं लस्सी-शरबत की नीलामी में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3- कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति/ठेकेदार के लिए तब तक बोली नहीं बोल सकता, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति/ठेकेदार का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो।
- 4- उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 20 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अग्रिम धनराशि के रूप में तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- 5- प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6- जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी में भाग लेने का हकदार नहीं होगा।
- 7- नीलामी में भाग लेने/बोली बोलने वाले व्यक्ति दिनांक 29.04.2025 को

कार्यालय नज्दरत जजी, देवरिया में पूर्वान्ह 10.00 बजे तक समस्त प्रपत्रों के साथ जमानत की धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करे।

8- नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।

9- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी।

सदस्य,

(विवेक कुमार सिंह-II),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।

सदस्य,

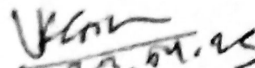
(जगन्नाथ),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।

अध्यक्ष,

(ओमवीर सिंह),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित किया जाय :-

- 1- सिस्टम ऑफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया को जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 2- जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3- कलेक्ट्रेट देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4- जिला परिषद देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा हेतु।
- 6- जिला सूचना अधिकारी को उक्त नीलामी की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कर कार्यालय नज्दरत जजी, देवरिया को प्रेषित किये जाने हेतु।

सदस्य,

(विवेक कुमार सिंह-II),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।

सदस्य,

(जगन्नाथ),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।

अध्यक्ष,

(ओमवीर सिंह),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।